उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4

संख्या-1/2024/बी-4-211/दस-2024

लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2024

विषयः राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि/जमा हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर का निर्धारण।

लेखाशीर्ष ''8336-सिविल जमा-103-राज्य प्रतिपरक वनीकरण जमा'' तथा लेखाशीर्ष ''8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियॉ-129-राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि'' हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 3.35 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज का आगणन वार्षिक आधार पर किया जायेगा।

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-1/2024/बी-4- 211(1)/दस-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।